न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/169

श्रीमती ग्यारसी बाई पुत्री कालूराम पत्नी नारायण जाति माली मृतक जरिये कायममुकाम मोहनलाल आत्मज स्वर्गीय नारायण जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री कालूराम जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पुष्पाबाई बेवा स्व0 श्री हीरालाल जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जमनाबाई पुत्री स्व0 श्री तुलसीराम जाति माली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती मोहनी बाई उर्फ शातिबाई पुत्री स्व0 श्री नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी श्री बृजमोहन जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती मधुबाई पुत्री स्व0 नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी किशनलाल जाति माली निवासी पीपल्दा खेतान तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजकुमार नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की ओर से ।
4. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.06.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम वादिनी के पिता कालूराम जी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल किता 35 की 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादिनी के पिता कालूराम एवं

उनके भाई रामलाल जी का 1/2 – 1/2 हिस्सा था । वादिनी के पिता कालूराम जी एवं वादिनी के सगे चाचा श्री रामलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है । रामलाल का उक्त भूमि में केवल 1/2 हिस्सा था । रामलाल जी के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 09 के जरिये उनके पुत्र किशन गोपाल विधवा पत्नी श्रीमती भेरी बाई तथा पुत्र वधु हीरा बेवा तुलसीराम के खाते 1/2 हिस्सा दर्ज की गई तथा वादिनी के पिता श्री कालूराम जी का 1/2 हिस्सा पूर्ववत दर्ज रहा । परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से नामान्तरकरण आदेश व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत मनमाने तरीके से रामलाल जी के वारिसान किशनगोपाल भेरी बाई व हीरा बाई का नाम श्री कालूराम के साथ संभाग से दर्ज कर दिया । राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि रामलाल जी के वारिसान किशन गोपाल भेरी बाई व हीरा बाई 1/2 हिस्सा व कालूराम जी का 1/2 हिस्सा दर्ज करना चाहिए था । राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से किये गये उक्त इन्द्राजात वादिनी के पिता श्री कालूराम जी एवं वादिनी के विरूद्ध प्रभावहीन है तथा कालूराम जी का एवं उसके वारिसान का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा यथावत रहता है । वादिनी के पिता कालूराम अपने जीवनकाल तक अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर स्वयं काबिज करे ताकि उनकी सन् 1987 में मृत्यु हो जाने के बाद से उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर उनकी दोनों पुत्रियों वादिनी एवं प्रतिवादिनी कम 01 कालूराम जी की उत्तराधिकारी होने से संभाग से काबिज चली आ रही हैं । कालूराम जी की पुत्री होने से वादिनी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा वादिनी का उक्त भूम में 1/4 हिस्सा है । वादिनी वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारी है । वादिनी के पिता कालूराम जी ने श्रीमती गुलाब बाई प्रतिवादी कम 01 के पक्ष में दिनांक 05.10.1974 को अथवा किसी अन्य तारीख को कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया तथा न ही पंजीयन करवाया । नायब तहसीलदार मण्डाना ने वादिनी के पिता श्री कालूराम का फौती इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व वादिनी को कोई नोटिस नहीं दिया तथा वादिनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उत्तराधिकार वसीयत एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच किये बिना ही वादिनी के पिता श्री कालूराम जी का फौती नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 प्रतिवादिनी के पक्ष में गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से तस्दीक करने में त्रुटि की है । कालूराम जी के 1/2 हिस्से में वादिनी एवं प्रतिवादिनी कम 01 प्रत्येक संभाग से 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादिनी को वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार कालूराम जी की वारिसान होने से, वादिनी एवं प्रतिवादी कम 01 को हिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी को उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्राप्त होने वाली भूमि का वादिनी को पृथक से कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 2 व 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा– 2017 के अन्तर्गत कैम्प कोर्ट मण्डाना में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.05.2017 के

द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11 **Resjudicata** का सिद्धान्त लागू होने के आधार पर खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2018 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 से व्यथित होकर वादिनी मृतक ग्यारसी बाई के कायममुकाम अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना तथा उनका कानून सम्मत तरीके से विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित करते हुए वाद वादिनी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित किये बिना वसीयत मान्य नहीं होती है । गुलाब बाई द्वारा वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बिना त्रुटिपूर्ण एवं विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना तथा उनका कानून सम्मत तरीके से विवेचन किये बिना ही निर्णय प्रदान करते हुए दावा वादिनी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि तथाकथित वसीयत दिनांक 05.10.1974 प्रमाणित किये बिना वसीयत मान्य नहीं होती है । गुलाब बाई द्वारा वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण को अवैध घोषित करना तथा उसे निरस्त करने का अधिकार नहीं मानते हुए वाद वादिनी खारिज किया है । नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल मात्र फिसकल कार्यवाही होती है तथा नामान्तरकरण किसी प्रकार का हक, स्वत्व प्रदान नहीं करता है । अधिकार, स्वत्व की घोषणा केवल मात्र नियमति वाद में ही न्यायालय द्वारा ही की जाती है । इस कारण यदि कोई नामान्तरकरण तस्दीक भी किया गया है तो उस नामान्तरकरण को नियमित वाद में अवैध घोषित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादिनी इस आधार पर भी खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी दोनों भाई कालूराम तथा रामलाल जी के संयुक्त खाते में संभाग से दर्ज थी । इस प्रकार दोनों

भाईयों के 1/2 – 1/2 हिस्सा का रामलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके 1/2 हिस्से की भूमि उनके पुत्र किशन गोपाल व उनकी बेवा भेरी बाई तथा विधवा पुत्र वधु हीरा बेवा तुलसीराम के खाते में दर्ज की गई तथा कालूराम जी का 1/2 हिस्सा यथावत रहा, किन्तु रामलाल जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरकरण तथा राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर जमाबन्दी में कालूराम, किशनगोपाल, भेरी बाई व हीरा का नाम संभाग से दर्ज कर दिया । इस प्रकार कालूराम का हिस्सा केवल मात्र 1/4 रह गया, जबकि उसका उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा था । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का न तो सही अवलोकन किया तथा न ही कोई मत दिया कि कालूराम 1/2 हिस्से का खातेदार था अथवा नहीं ? राजस्व रिकॉर्ड से एवं कथनों से स्पष्ट है कि कालूराम विवादित भूमि का आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार था, राजस्व कार्मिकों ने स्वयं ही अपने स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन कर उसे रामलाल के वारिसों के साथ बराबर संभाग से खातेदार दर्ज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया कि कालूराम का कितना हक, हिस्सा विवादित भूमि में था । कालूराम का हिस्सा निर्धारित करने के पश्चात् ही कालूराम के वारिसान का हक हिस्सा तय होगा । उक्त त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अनुतोष चाहा गया था । कालूराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके खाते एवं हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट कम 01 गुलाब बाई के नाम एक ऐसी वसीयत के आधार पर तस्दीक कर दिया जो वास्तव में उनके द्वारा निष्पादित की ही नहीं थी न उक्त वसीयत को रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा अपनी साक्ष्य से साबित ही करवाया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि यदि कोई वसीयत है तो उसे प्रमाणित करवाना होगा । चूँकि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है । अतः वसीयत को प्रमाणित करवाना आवश्यक है । वसीयत के संदर्भ में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वसीयत पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत बल्कि वसीयत को प्रमाणित कर कियान्वयन करवाना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक ने अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2004 (एससी) पेज 436 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि का हवाला दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरोधाभासी तथा विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । कालूराम को आधी भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाकर , कालूराम के वारिसान के मध्य भी कालूराम की भूमि समभाग मे विभाजित की जाए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2004 (एससी) पेज 436, एआईआर 2004 (एससी) पेज 443, एआईआर 1959 (एससी) पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 के विद्वान् अभिभाषकगण ने भी विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनो, तथ्यों तथा बहस का समर्थन किया । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि कालूराम के भाई रामलाल के वंश वृक्ष से है तथा विवादित भूमि मे दो भाईयों कालूलाल एवं रामलाल का आधा–आधा हिस्सा था। हमने कोई वसीयत नहीं देखी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस

का कोई खण्डन नहीं किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2022 सही है। हमे केवल रामलाल के आधे हिस्से से मलतब है।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण पंजिका संख्या 09 दिनांक 23.05.1961 प्रदर्श– 1 है, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग खाता संख्या 209 संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मण्डाना की कुल किता 35 की रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि रामलाल, कालूराम पिता गोरधन कौम माली के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग खाता संख्या 210 संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 4 संलग्न है जो रामलाल, कालूराम पिता गोरधन, मानकचन्द गोरधन पिता नारायण, पाना चन्द वल्द मोतीचन्द कौम माली खातेदारी में दर्ज है जिसमें भूमि का योग खाता अस्पष्ट है । नकल मिलान क्षेत्रफल संत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 5 है । नकल नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसमें नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा दिनांक 17.01.1987 को अंकित किया है कि "पेश हुआ श्री कालूराम पुत्र गोरधन की मृत्यु होना पाया गया उसके पुत्र व स्त्री का नहीं होना भी पाया गया । पुत्रियों ग्यारसी एवं गुलाब का होना जाहिर पाया । गुलाब ने एक वसीयतनामा रजिस्टर्ड दिनांक 05.10.1974 पेश किया जिसमें कालूराम ने अपने मृत्यु के पश्चात् प्रथम गुलाब पुत्री कालूराम को वसीयत की है जिसमें उसे भूमि व जायदाद बेचान व खुर्द–बुर्द करने के अधिकार नहीं दिये हैं एंव गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री या उसके वारिसान ही कालूराम की सम्पत्ति पर अधिकारी होंगे । अतः वसीयत के आधार पर कालूराम के बजाय गुलाब पुत्री कालूराम का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं खाते यह नोट अंकित किये जाने की गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री कालूराम या उसके वारिसान जो भी हों हकदार होंगे ।" नकल जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मण्डाना की कुल 31 किता की रकबा 6.90 हैक्टर भूमि किशनगोपाल पि0 रामलाल मु0 भेरी बेवा रामलाल मु0 हीरा बेवा तुलसीराम गुलाब पुत्री कालराम कौम माली हि0ब0 गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री कालूराम या उसके वारिसान जो भी हो हकदार होंगे का अंकन है । नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श– 8 है, डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 9 व 10 हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 11 संलग्न है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 12 है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार निम्नांकित तनकी कायम कर निर्णय पारित किया है । हम प्रस्तुत प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं :–

1. तनकी नंम्बर 01 :– आया वादिनी वादग्रस्त भूमि में से अर्थात् कालूराम के 1/2 हिस्से में से हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर है । इस तनकी में मूलतः यह भी निर्णित किया जाना है कि कालूराम का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज हो सकता है या नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया अपितु, इंतकाल संख्या 15 दिनांक 17.1.87 को

विवेचन करते हुए वादी के विरूद्ध तनकी निर्णित की है । परन्तु यहाँ मूल प्रश्न कालूराम के हिस्से का भी है । कालूराम का हिस्सा तय होने के बाद ही वादी अपीलान्ट का हक हिस्सा तय हो सकता है । जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग खाता संख्या 2009 संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मण्डाना की कुल किता 35 की रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि रामलाल, कालूराम पिता गोरधन कौम माली के खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण पंजिका संख्या 09 दिनांक 23.05.1961 प्रदर्श– 1 में अंकित किया है कि "बहाजरी इंतकाल 12 मंडाना पेश हुआ रामलाल का फौत होना जाहिर हुआ मृतक श्री रामलाल का सुलभी लडका श्री किशनगोपाल व मृतक की स्त्री मु0 भैरी व मृतक का बडा लडका तुलसीराम जो फौत हो चुका है उसकी धर्म पत्नी मु0 हीरा उपस्थित है । सिर्फ किशनगोपाल उपस्थित नहीं है ऐसी हालत में खाता संख्या 204 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, खाता संख्या 205 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 206 चाह 380 रकबा 02 बिस्वा वहां हर चारों खातों पर मृतक श्री रामलाल के बजाय श्री किशनगोपाल व भेरी व हीरा का नाम दर्ज बांट–बराबर से दर्ज किया जावे।" नामान्तरकरण की स्वीकृति तत्कालीन सरपंच श्री नारायण ग्राम पंचायत मंडाना द्वारा दी गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मण्डाना की कुल 31 किता की रकबा 6.90 हैक्टर भूमि किशनगोपाल पि0 रामलाल मु0 भेरी बेवा रामलाल मु0 हीरा बेवा तुलसीराम गुलाब पुत्री कालूराम कौम माली हि0ब0 गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री कालूराम या उसके वारिसान जो भी हो हकदार होंगे का अंकन है । इससे स्पष्ट है कि कालूराम का 1/2 हिस्सा विवादित भूमि में था । प्रदर्श– 3 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी रामलाल, कालूराम पिता गोरधन के खाते में दर्ज थी । रामलाल एवं कालूराम भाई थे तथा गोरधन इन दोनों के पिता थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में अंकित किया है कि, "अतः वादिनी की ओर से पेश प्रदर्श– 6 एवं प्रदर्श–7 के अद्योपान्त अवलोकन अध्ययन से गुलाब बाई के जीवनकाल में वादिनी के अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण यह तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती हैं ।" अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य एवं विधि के प्रश्न को समझने में भूल की है कि उसके समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 का है। जब वादी कोई घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करता है तो विधि के प्रावधानों के प्रकाश में यह देखना होता है कि वह यह घोषणा करवाने का अधिकारी है अथवा नहीं ? हम अधीनस्थ न्यायालय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि उसे नामान्तरकरण संख्या 15 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग होती है जिससे किसी पक्षकार के अंतिम हक व अधिकार साबित नहीं होते । यदि कोई वादी अपने पक्ष में वाद साबित करने में सफल होता है तो राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों को बदला जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या वादिनी स्वयं के पक्ष में वाद साबित करने में सफल रही ? नामान्तरकरण का प्रश्न गौण है तथा अधिकार की घोषणा का प्रश्न मूल बिन्दु है । यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.11.2000 को प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब पुत्री कालूराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा महत्वपूर्ण है । इस जवाब दावे में बिन्दु संख्या 05 को अस्वीकार किया गया है तथा गुलाब के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत होने का कथन किया है । परंतु कोई वसीयत प्रस्तुत नहीं की। जवाबदावे में वादपत्र में अंकित अन्य सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया है तथा अपने जवाब के विशेष आपत्तियों में अंकित किया है कि, "वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित 35 किता की 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम

मण्डाना तहसील लाडपुरा में स्थित है । उपरोक्त भूमि में वादिनी एवं प्रतिवादिनी कम 01 के पिता कालूराम जी का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा रामलाल जी का है । वादिनी तथा प्रतिवादिनी कम 01 स्वर्गीय कालूराम जी की पुत्रियाँ व प्राकृतिक वारिसान हैं । इस कारण वादिनी 1/4 व प्रतिवादिनी कम संख्या एक 1/4 हिस्से की खातेदार हैं तथा वादिनी व प्रतिवादिनी कम 01 का खाता अलग–अलग कर विभाजन कर दर्ज किया जावे इसके प्रतिवादी कम 01 को कोई आपत्ति नहीं है । वादी एवं प्रतिवादी कम 01 कालूराम जी के 1/2 हिस्से की भूमि पर शामलाती रूप से काबिज हैं । यह कि विवादित भूमि में नये खसरा नम्बर वादपत्र की मद संख्या 04 में अंकित किये गये हैं जिनका विभाजन किया जाकर 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि अलग–अलग वादिनी व प्रतिवादिनी कम 01 के खाते में दर्ज की जावे ।" तथा इसके नीचे प्रार्थिनी के रूप में गुलाब के हस्ताक्षर हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई वसीयत संलग्न नहीं है । गुलाब ने भी अपने पक्ष में कोई वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 को आधार मानकर वसीयत को सही माना है । जबकि उसके समक्ष कोई वसीयत प्रस्तुत नहीं हुई। नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 में अंकित है कि "पेश हुआ श्री कालूराम पुत्र गोरधन की मृत्यु होना पाया गया उसके पुत्र व स्त्री का नहीं होना भी पाया गया । पुत्रियाँ ग्यारसी एवं गुलाब का होना जाहिर पाया । गुलाब ने एक वसीयतनामा रजिस्टर्ड दिनांक 05.10.1974 पेश किया जिसमें कालूराम ने अपने मृत्यु के पश्चात् प्रथम गुलाब पुत्री कालूराम को वसीयत की है जिसमें उसे भूमि व जायदाद बेचान व खुर्द–बुर्द करने के अधिकार नहीं दिये हैं एंव गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री या उसके वारिसान ही कालूराम की सम्पत्ति पर अधिकारी होंगे । अतः वसीयत के आधार पर सत्यापित "कालूराम के बजाय गुलाब पुत्री कालूराम का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं खाते पर यह नोट अंकित किये जाने की गुलाब की मृत्यु के बाद ग्यारसी पुत्री कालूराम या उसके वारिसान जो भी हों हकदार होंगे ।" हम अधीनस्थ न्यायालय की इस फाइडिंग से सहमत नहीं हैं कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 15 को सही मानकर वसीयत को भी सही माना । वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई वसीयत प्रस्तुत नहीं हुई तथा जिसके पक्ष में वसीयत करना अंकित किया गया है वह गुलाब स्वयं स्वीकार करती है कि कालूराम की दोनों पुत्रियों के प्राकृतिक वारिसान हैं तथा दोनों के 1/4, 1/4 हिस्सा निहित हैं ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 15 को किस आधार पर उचित माना जा सकता है? न्यायालय हाजा के समक्ष स्वयं गुलाब के अधिवक्ता ने माना कि हमारे पास कोई वसीयत नहीं है। वसीयत के सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, एआईआर 2004 (सुप्रीमकोर्ट) पेज 436 में उल्लेखित है कि, "(A)– Succession Act (39 of 1925), Section 63, 70 – Evidence Act (1 of1872),S. 68 proviso (as inserted by Act No. 31 of 1926), Codicil- Execution and attestation of – Must be in same manner as a will – Since codicil is instrument made in relation to a will." निर्णय के बिन्दु संख्या (B) एवं (C) तथा (D) को उद्धृत किया, निर्णय का बिन्दु संख्या (D) में अभिमत दिया है कि "Registration Act(16 of 1908), Section 58- Succession Act(39 of 1925) S. 63- Registration of document as codicil of Will-Does not dispense with need of proving execution and attestation of codicil/Will as per

Evidence Act- Endorsements made by Registerar are relevant for registration purpose only. " इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 इस प्रकार है –"Proof of execution of document required by law to be attested.- If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence: Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied." यहाँ हस्तगत वाद मे तो कोई वसीयत ही प्रस्तुत नहीं हुई तथा जिसके पक्ष में वसीयत की गई है वह स्वयं वादी को 1/4 हिस्सा देना चाहती है । वसीयत को प्रमाणित करना आवश्यक होता है । प्रस्तुत प्रकरण में न तो वसीयत प्राप्त हुई और न ही उसे सिद्ध किया गया है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 06 सीपीसी के तहत स्वयं गुलाब बाई का स्वीकारात्मक कथन महत्वपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि रामलाल के वारिसान हैं । प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा जवाबदावे में प्रार्थना की गई है "कि वादिनी का अप्रार्थी संख्या 02 से कोई सम्बन्ध नहीं होने से तथा अप्रार्थी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पूर्व में निर्णित होकर उसकी इजराय भी पूर्व में हो जाने के कारण धारा 10 एवं 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू होते हैं । आज की तारीख में अप्रार्थी संख्या 02 न तो वादिनी का सहखातेदार है इस कारण उसे गलत पक्षकार बनाया गया है । वाद मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के नियम व कानून से पोषनीय नहीं है । वादिनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को गलत ढंग से पक्षकार बनाये जाने के कारण विशेष हर्जाना दिलवाये जाने की प्रार्थना है ।" जिनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजियात का पूर्व में ही बंटवारा व घोषणा होकर इजराय हो चुकी है । पत्रावली में पूर्व में जो वाद चला उसकी कोई प्रोसेडिंग/अलग पत्रावली संलग्न नहीं है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने एक फोटो प्रति प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वाद किशनगोपाल बनाम भेरी दिनांक 13.10.2010 को अदम हाजरी एवं अदम तकमील में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद का कोई प्रभाव नहीं है तथा प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद में भी पक्षकार है । अतः वे यहाँ उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे । न्यायालय हाजा के समक्ष अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने स्वयं माना है कि कालूराम व रामलाल दो भाई थे तथा दोनो का आधा–आधा हिस्सा था। वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से हमें कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब का शपथ पत्र जिसमें स्वयं गुलाब ने नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 को स्वयं के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण को त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक कहा है अतः नामान्तरकरण संख्या 15 को घोषणा के वाद में निरस्त किये जाने के निर्देश राजस्व न्यायालय दे सकता है । जहाँ तक रामलाल के वारिसान का सम्बन्ध है, उनके हक अधिकार रामलाल के हिस्से की 1/2 भूमि में यथावत रहेंगे । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं विधि की स्थिति से स्पष्ट है कि वसीयत को सत्यापित/प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । प्रस्तुत वाद में तो स्थिति बिल्कुल अलग है, जिसके पक्ष में

नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 में वसीयत होने का कथन है वह रेस्पोडेन्ट कम 01 गुलाब बाई अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई परन्तु उसके द्वारा कोई वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये तथा न ही न्यायालय हाजा में कोई वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किया । स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, जिसके पक्ष में वसीयत होने का कथन कर नामान्तरकरण भरा गया, ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र डीडब्ल्यू–1 प्रस्तुत कर कथन किया है कि, "मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि कालूराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके 1/2 हिस्से की भूमि मेरी बहिन ग्यारसी बाई तथा मेरे स्वयं के पक्ष में संभाग से दर्ज दिया जाना चाहिए था, किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना ने अपनी मर्जी से ही कालूराम जी के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 मेरे पक्ष में तस्दीक कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है, कारण कि उक्त भूमि मेरी बहिन ग्यारसीबाई व मेरा संभाग से हिस्सा है अर्थात् 1/4 हिस्सा ग्यारसी बाई का व 1/4 हिस्सा मेरा है, और इसी अनुरूप नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था ।" इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा के समक्ष विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुलाब बाई के विद्वान् अभिभाषक ने भी नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 को निरस्त योग्य होने का कथन किया है तथा अपीलान्ट वादिनी के कथनों का समर्थन किया है । इससे स्पष्ट है कि स्वयं गुलाब बाई के खण्डन से नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 को सही नहीं माना जा सकता । नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग है जिससे स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । घोषणा के वाद में इस फिसकल प्रोसेडिंग को वाद में निर्धारित हक, अधिकारों के आधार पर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि इंतकाल निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है । उपर्युक्त विवेचन से तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में कालूराम का 1/2 हिस्सा था तथा कालूराम के 1/2 हिस्से में वादिनी का प्राकृतिक वारिस होने के कारण 1/4 हिस्सा बनता है । कालूराम के दो वारिस ग्यारसीबाई एवं गुलाबाई है तथा दोनों ने कालूराम जी के हिस्से की भूमि पर दोनों को 1/4, 1/4 हिस्से की घोषणा पर सहमति दी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी को वादिनी के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है । उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है ।

2. तनकी नम्बर 02 :– आया वादिनी वादग्रस्त भूमि में से कालूराम जी के हिस्से में 1/2 की भूमि में 1/4 हिस्सा खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है :– जैसा कि तनकी संख्या 01 में किये गये विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में कालूराम का 1/2 हिस्सा बनता है । अतः कालूराम जी के हिस्से की भूमि में से वादिनी 1/4 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है । तनकी संख्या 01 में किये गये विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को दोहराने की आवश्यकता नहीं है । यह तनकी नम्बर 01 से ही जुडी है । अतः तनकी नम्बर 02 वादिनी के पक्ष में तय की जाती है ।

3. तनकी नम्बर 03 :– आया वादिनी राजस्व विभाग द्वारा खोले गये रामलाल जी के फौती इंतकाल संख्या 15 दिनांक 17.1.87 को निरस्त कर पुनः दुरूस्ती इंतकाल कालूराम के वारिसान गुलाब बाई, ग्यारसी बाई के पक्ष में 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है :– जैसा कि तनकी नम्बर 1 में विवेचन किया गया है कि

फौती इंतकाल संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 में अंकित वसीयत अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । तनकी संख्या 01 में किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि वसीयत को सत्यापित/प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है । जिसके पक्ष में वसीयत की गई है, उसने स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पर कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गुलाब बाई पुत्री कालूराम ने पक्षकार होने के बावजूद कोई वसीयत पेश नहीं की अपितु, वसीयत के आधार पर खोले गये फौती इंतकाल दिनांक 17.01.1987 को त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक बताया है । गुलाब बाई ने स्वयं को तथा ग्यारसी बाई को कालूराम की पुत्रियॉं बताते हुए कालूराम के प्राकृतिक वारिसान होने का कथन किया है । जब कोई वसीयत ही प्रस्तुत नहीं की गई तो क्या किसी प्राकृतिक वारिस को केवल नामांतरकरण मे प्रविष्टि के आधार पर उसके हक, अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? ऐसी स्थिति मे हमारे मत मे नामान्तरकरण मे प्रविष्टि को परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि वादिनी विवादित आराजी में कालूराम के हिस्से में से स्वयं का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने में सफल रही है, अतः ऐसी स्थिति में इंतकाल संख्या 15 दिनांक 17.01.1987 को निरस्त किया जा सकता है अतः तनकी संख्या 3 वादी अपीलांट के पक्ष मे तय की जाती है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2022 निरस्त किया जा ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल किता 35 की 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि में कालूराम के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से का वादिनी अपीलान्ट ग्यारसी को खातेदार घोषित किया जाता है । वादिनी अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से का अमल दरामद किया जावे ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/169

श्रीमती ग्यारसी बाई पुत्री कालूराम पत्नी नारायण जाति माली मृतक जरिये कायममुकाम मोहनलाल आत्मज स्वर्गीय नारायण जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाब बाई पुत्री कालूराम जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पुष्पाबाई बेवा स्व0 श्री हीरालाल जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जमनाबाई पुत्री स्व0 श्री तुलसीराम जाति माली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती मोहनी बाई उर्फ शातिबाई पुत्री स्व0 श्री नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी श्री बृजमोहन जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती मधुबाई पुत्री स्व0 नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी किशनलाल जाति माली निवासी पीपल्दा खेतान तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

वाद संख्या: 102/2018

श्रीमती ग्यारसी बाई(मृतक) पुत्री कालूराम पत्नी नारायण जर्ये कायम मुकाम–

1/1. मोहनलाल आत्मज स्व. नारायण जाति माली, निवासी मण्डाना, तहसील लाडपुरा, कोटा

1/2. श्रीमती मोहनी बाई उर्फ शातिबाई पुत्री स्व0 श्री नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी श्री बृजमोहन जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

1/3. श्रीमती मधुबाई पुत्री स्व0 नारायण एवं ग्यारसी बाई पत्नी किशनलाल जातिमाली निवासी पीपल्दा खेतान तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादीगण

बनाम

1. गुलाब पुत्री कालूराम जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. किशनगोपाल आत्मज रामलाल जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. हीराम पत्नी स्व. तुलसीराम जाति माली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 102/2018 में न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 09.06.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री राजकुमार नामा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री रघुवीर यादव अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री रूपेश श्रंगी अभिभाषक उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2022 खारिज किया जाकर ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल किता 35 की 46 बीघा 11 बिस्वा भूमि मे कालूराम के 1/2 हिस्से मे से 1/4 हिस्से का वादिनी अपीलांट ग्यारसी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादिनी अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से का अमल दरामद किया जावे।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 09.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा